| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**मदनलाल बनाम राजस्थान सरकार**<br>**77 / 2020 (2020 / 00529)** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 08.12.21 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 पारित किया गया है जो न्यायालय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2018 को अपीलार्थीगण की आराजी की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड निर्णय की प्रतिलिपि के साथ वापस भिजवाया जावें तथा पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(दिनेश कुमार यादव)<br>संभागीय आयुक्त<br>जयपुर। | |